

बेनामी लेनदेन अधिनियम

प्रलिस के लयः

बेनामी संपत्तऱ, बेनामी लेनदेन, बेनामीदार, मनी लॉन्डरगऱ

मेन्स के लयः

बेनामी लेनदेन के प्रावधान (नषऱध) संशोधन अधनऱयऱम 2016, असंवैधानकऱ प्रावधान

चरचा में क्यौं?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी लेनदेन (नषऱध) अधनऱयऱम 1988 की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से स्वैच्छकऱ होने के आधर पर असंवैधानकऱ करर दयऱ ।

- धारा 3(2) बेनामी लेनदेन में करने पर सजा का प्रावधान करती है ।
- न्यायाधीशों ने मरना कऱ अधनऱयऱम जसऱ वरष 2016 में संशोधतऱ कयऱ गयऱ थऱ केवल संभवतऱ रूप से लागू कयऱ जऱ सकतऱ है और संशोधतऱ अधनऱयऱम के लागू होने से पहले सभी अभयऱोजन यऱ ज़बती की कर्यवऱही को रदद कर दयऱ ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनऱयऱ

- अधनऱयऱम, 2016 की धरऱ 3(3):
 - न्यायालय ने बेनामी लेनदेन करने पर तीन सऱल के कररऱवऱस की सजऱ और संपत्तऱ के उचतऱ बऱज़ऱर मूल्य के 25 परतशऱत तक जुरमऱनऱ बदऱ दी ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसलऱ सुनऱयऱ कऱ "संबंधतऱ अधकऱरऱ अधनऱयऱम, 2016 के (25 अकतूबर 2016) के लागू होने से पहले कयऱ गऱ लेनदेन हेतु अपरऱधकऱ मुकदमऱ चलऱने यऱ ज़बत करने की कर्यवऱही शुरू नहीं कर सकतऱ है यऱ जऱरऱ नहीं रख सकतऱ है । उपरोक्त घोषणऱ के परणऱमस्वरूप ँसे सभी अभयऱोजन यऱ ज़बती की कर्यवऱही रदद हो जऱएगी ।"
- बेनामी संपत्तऱयऱों की ज़बती:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वरष 1988 के अधनऱयऱम में बेनामी संपत्तऱयऱों को असंवैधानकऱ रूप से ज़बत करने के प्रावधान को भी असंवैधानकऱ ठहरऱयऱ और कऱ 2016 के संशोधतऱ अधनऱयऱम में प्रावधान केवल संभवतऱ रूप से लागू कयऱ जऱ सकतऱ है ।
 - चूँकऱ यह वरष 2016 के संशोधन अधनऱयऱम के तहत अनऱय आधरों पर वचऱर की गई स्वतंत्र ज़बती कर्यवऱही की संवैधानकऱतऱ से संबंधतऱ नहीं है, इसलऱयऱ यह उचतऱ मऱमलों में नरऱणऱय लेने के लयऱ स्वतंत्र थऱ ।
- धन शोधन नऱवरऱण अधनऱयऱम (PMLA), 2002
 - सर्वोच्च न्यायालय के हऱल ही के ँक नरऱणऱय ने PMLA के प्रावधान को बरकरऱर रखऱ जऱ अधकऱरऱयऱों को असऱधऱरण मऱमलों में मुकदमे से पहले संपत्तऱ पर अधकऱर करने की अनुमतऱ देतऱ है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कऱ है कऱ इस तरह के प्रावधान से मनमऱने ँवेदन की संभवऱनऱ खतम हो जऱती है

बेनामी लेनदेन (नषऱध) संशोधन अधनऱयऱम 2016

- परचयः
 - अधनऱयऱम ने मूल अधनऱयऱम बेनामी लेनदेन (नषऱध) अधनऱयऱम 1988 में संशोधन कयऱ और इसकऱ नऱम बदलकर बेनामी संपत्तऱ लेनदेन (नषऱध) अधनऱयऱम, 1988 कर दयऱ ।
 - अधनऱयऱम ने बेनामी लेनदेन को ँक लेनदेन के रूप में परभऱषतऱ करतऱ है जऱहऱँ:
 - ँक संपत्तऱ कऱसऱी वऱकतऱ के पऱस होती है यऱ उसे हस्तऱंतरतऱ की जऱती है लेकनऱ कऱसऱी अनऱय वऱकतऱ दऱवऱरऱ प्रदऱन यऱ भुगतऱन की जऱती है ।
 - फरजी नऱम से कयऱ गयऱ लेनदेन

- मालिक को संपत्ति के स्वामित्व से इनकार करने के बारे में जानकारी नहीं है,
 - संपत्ति के लिये दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ट्रेस करने योग्य नहीं है।
- **अपीलीय न्यायाधिकरण:**
- यह अधिनियम न्यायनरिणायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है।
 - अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
 - विशेष न्यायालय को शाकियत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी चाहिए।
- **प्राधिकरण:**
- बेनामी लेनदेन के संबंध में पूछताछ या जाँच करने के लिये अधिनियम ने चार प्राधिकरणों की स्थापना की:
 - पहल अधिकारी
 - अनुमोदन प्राधिकारी
 - प्रशासक
 - नरिणायक प्राधिकारी
 - यदि पहल अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति एक बेनामीदार है तो वह उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।
 - अनुमोदन प्राधिकारी की अनुमति के अधीन पहल अधिकारी नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के लिये संपत्ति को अधिकार में ले सकता है।
 - नोटिस अवधि के अंत में, पहला अधिकारी संपत्ति पूर्वकालिक स्थिति के लिये एक आदेश पारित कर सकता है।
 - यदि संपत्ति के स्वामित्व को जारी रखने के लिये कोई आदेश पारित किया जाता है, तो **अधिकारी मामले को न्यायनरिणायक प्राधिकारी** को संदर्भित करेगा।
 - **न्यायनरिणायक प्राधिकारी** मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की जाँच करेगा और फिर एक आदेश पारित करेगा कि संपत्ति को **बेनामी के रूप में रखा जाए या नहीं**।
 - बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने के आदेश के आधार पर, प्रशासक संपत्ति को **नरिधारित तरीके और शर्तों** के अधीन प्राप्त तथा प्रबंधित करेगा।
 - **संशोधित कानून** नरिदृष्टि अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को **अस्थायी रूप से संलग्न करने का अधिकार** देता है जिन्हें अंततः ज़ब्त किया जा सकता है।
- **दंड:**
- यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेन-देन के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम **एक वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास** की सज़ा हो सकती है, जसि **7 वर्ष तक बढ़ाया** जा सकता है।
 - वह जुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा जो संपत्ति के **उचित बाज़ार मूल्य के 25% तक** हो सकता है।

अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें:

- **संपत्ति:**
 - **किसी भी प्रकार की संपत्ति**, चाहे चल या अचल, मूरत या अमूरत, भौतिक या नगिमन और इसमें कोई अधिकार या हति या कानूनी दस्तावेज या उपकरण शामिल हैं जो संपत्ति पर अधिकार का सबूत देते हैं और जहाँ संपत्ति किसी अन्य रूप में रूपांतरण करने में सक्षम है, परिवर्तित रूप में संपत्ति और संपत्ति से आय भी शामिल है।
- **बेनामी संपत्ति:**
 - कोई भी संपत्ति जो **बेनामी लेन-देन का विषय** है और इसमें ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय भी शामिल है।
- **बेनामीदार:**
 - एक व्यक्ति या एक काल्पनिक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति हस्तांतरित या धारण की जाती है और इसमें वह व्यक्ति शामिल होता है जो अपना नाम उधार देता है।
- **स्वामी:**
 - ऐसा व्यक्ति चाहे उसकी पहचान ज्ञात हो या नहीं, जिसके लाभ के लिये **बेनामी संपत्ति एक बेनामीदार** के पास है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. 'बेनामी संपत्ति लेनदेन नषिध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. किसी संपत्ति लेनदेन को बेनामी लेनदेन नहीं माना जाता है यदि संपत्ति के मालिक लेनदेन से अवगत नहीं है।
2. बेनामी संपत्तियाँ सरकार द्वारा अधिक्ती की जा सकती हैं।
3. अधिनियम में जाँच के लिये तीन प्राधिकरणों का प्रावधान है, लेकिन किसी भी अपीलीय तंत्र का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

■ **बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम):**

- एक बेनामी लेनदेन की परिभाषा को एक काल्पनिक नाम से कथि गए लेनदेन को शामिल करने के लिये वसित्तु कथि गया है, जहाँ मालिक को संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं है या संपत्ति के लिये प्रतफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चलता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- यह बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान रखता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- साथ ही, इसने PBPT अधिनियम के तहत नरिणायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान कथि है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

- हालाँकि, बेनामी लेनदेन के नषिध के लिये एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम को बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधति अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधति कथि गया था।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/benami-transactions-act>

